


(नियम 26)

अज अदालत कौशल्या बिश्नोई, आर.ए.एस, उपखंड अधिकारी मुकाम झुन्झुनू
 उनवानी प्रेमकुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर
 किस्म. मुकदमा धारा (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढी)
 मु0न0:- 513/25

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 13.05.2026 | <p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी की सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वाद ग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम अशोकनगर पटवार हल्का माखर तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.82 है0 की भूमि की प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। अंतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम अशोकनगर पटवार हल्का माखर तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.82 है0 की भूमि के प्रार्थीगण व सहखातेदारान व पडोसी खातेदारो को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तहसीलदार झुन्झुनू को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।</p> | <p style="text-align: center;">  (कौशल्या बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.) </p> |